



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1848]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2015/भाद्र 9, 1937

No. 1848]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2015/BHADRA 9, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2015

का. आ. 2382(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उम तारीख में, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

बांध बरेठा वन्यजीव अभयारण्य जो रूपवान और वयाना तहसील, जिला भरतपुर, राजस्थान में अवस्थित है और 199.24 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है ;

और जहां, अभयारण्य में विविध प्रकार के वाम हैं जिनमें विविध वनस्पतियों एवं जीव-जन्तु पाये जाते हैं जिसमें मुख्य जन्तु प्रजातियां, लियोपर्ड, हेयना, जंगली बिल्ली, चिंकारा, मगरमच्छ तथा लगभग पक्षियों की अठ्ठाईस प्रजातियां सम्मिलित है।

और जहां, अभयारण्य में शुष्क पर्णपाती वन है और मुख्य वृक्ष प्रजातियां ऐनोजियसिसूसम पेन्डूला, अकेशिया केटिचू, ए, लियकोफोलिया, ए. मेनेगल, वूटिया मोनोसर्मा, अडिना कोरडिफोलिया, होलोपटिलिया एनटिगरीफोलिया सम्मिलित है ;

और, उक्त बांध बरेठा वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाओं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट है पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है जिससे उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण को पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रतिषिद्ध किया जा सके ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बांध बरेठा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में बांध बरेठा वन्यजीव अभयारण्य की बाहरी सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार बांध बरेठा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशांतर के साथ उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन राजस्थान के जिला कराउली, भरतपुर के अंतर्गत आने वाले 58 ग्रामों तथा उत्तर प्रदेश के जिला आगरा, तक फैला हुआ है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची तथा मुख्य बिन्दुओं के निर्देशांक उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) मिंचाई ; और

(x) लोक निर्माण विभाग,

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्वन्धन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रवन्धन, जल-संभरण के प्रवन्धन, भूतल जल के प्रवन्धन, मृदा और नदी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से

संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उमी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए विनियमित करेगी।

(9) राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र के लिए आंचलिक महायोजना तैयार करेंगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 10, 16, 22, 28 और सं. 31 के मामले मूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आगमगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान मड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योगों में ग्राम उद्योग, भंडारण की सुविधा और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई वृष्टि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त वृष्टि के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त वृष्टि क संशोधन में किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.—आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं।

(3) पर्यटन.—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय

सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिर्देशों राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, तथा द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन दिशा निर्देश (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की बहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय बांध बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थलों.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) वायु प्रदूषण.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) बहिष्काव का निस्सारण.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट.—ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा —

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) यानीय परिवहन.—परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन होने तक, मानीटरी समिति मुसंगत अधिनियमों और इनके अध्याधीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाइयां.—(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों का स्थापन विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग के सिवाय अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण करने वाले कोई नए उद्योग का स्थापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्याधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट गति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

| क्रम सं. | क्रियाकलाप | टीका-टिप्पणी |
|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप : | | |
| (1) | वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां। | (क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा। |
| (2) | आरा मशीनों की स्थापना। | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। |
| (3) | जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना। | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। |
| (4) | जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| (5) | नए वृहत जल विद्युत और मिचार्ड परियोजनाओं का स्थापना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| (6) | खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| (7) | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| (8) | पर्यटन से संबंधित जैसे वायुयान, गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। |
| (9) | नए काष्ठ आधारित उद्योग। | पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ; परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार निरंतर बने रहेंगे ; |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| | | परंतु यह और भी कि विद्यमान आरा मशीनों के लाइसेंस का नवीकरण उनके लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर नहीं किया जाएगा। |
| (10) | मत्स्य गृहण। | पारिस्थितिक मंत्रेदी जोन में मभी जल निकायों में वाणिज्यिक मत्स्य गृहण पूर्णतया वर्जित होगा। तथापि, स्थानीय समुदाओं द्वारा अपनी वास्तविक जीविका की आवश्यकताओं के लिए मत्स्य गृहण किया जा सकता है। |
| विनियमित क्रियाकलाप | | |
| (11) | होटलों और रिमोटों का स्थापन। | पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय बांध बरेठा वन्यजीव अभयारण्य की बाहरी सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिमोट अनुज्ञात नहीं होंगे। |
| (12) | संनिर्माण क्रियाकलाप। | (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण राष्ट्रीय पार्क की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा ; परंतु स्थानीय व्यक्ति पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने आवासीय उपयोग हेतु अपनी भूमि में संनिर्माण किए जाने के लिए अनुज्ञात होंगे ; (ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग के संबंध में संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमति से अनुज्ञात होंगे। |
| (13) | वृक्षों की कटाई। | (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया किया जाएगा। |
| (14) | वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल मंचयन भी है। | (क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। |
| (15) | विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण। | भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना। |
| (16) | होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना। | सूखाशिला क्षेत्र के सिवाय लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (17) | विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना। | उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे। |
| (18) | रात्रि में यानिक यातायात का मंचलन। | लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे। |
| (19) | विदेशी प्रजातियों को लाना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| (20) | पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। तथापि, नदी तटों के कटाव को बढ़ाने के क्रियाकलापों को कुकुंद नदी के तटों पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। |
| (21) | प्राकृतिक जल निकायों या मतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण। | उपचारित बहिर्वाह के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या झोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा। |
| (22) | वाणिज्यिक माइनबोर्ड और होर्डिंग। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (23) | प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। | पारिस्थितिक संवेदी जोन में गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे। |
| (24) | वन उत्पादों और गैर कास्ट वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.एफ.पी.)। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (25) | वायु और यानिय प्रदूषण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| (26) | दुकानदारों द्वारा पोलोथीन थैलों का उपयोग। | लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे। |
| (27) | कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| अनुज्ञात क्रियाकलाप : | | |
| (28) | स्थानीय ममुदायों द्वारा चल रही कृषि और वागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग। | लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे। |
| (29) | वर्षा जल संचयन। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए। |
| (30) | जैविक खेती। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए। |
| (31) | सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए। |
| (32) | कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए। |
| (33) | नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग। | वायोगैस, सौर रोशनी आदि को बढ़ावा दिया जाए। |

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, राजस्थान राज्य में आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) जिला कलेक्टर, भरतपुर - अध्यक्ष

(ख) जिला कलेक्टर, कराउली का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(ग) गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसे प्रत्येक मामले में राजस्थान सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(घ) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य के प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से एक विशेषज्ञ जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में 1 वर्ष की अवधि के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा- सदस्य;

(ङ) पुलिस अधीक्षक - सदस्य ;

(च) उप-खंड अधिकारी, रूपवास - सदस्य

(छ) उप-खंड अधिकारी, बयाना - सदस्य

(ज।स.ट) निम्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी (i) लोक निर्माण (ii) सिंचाई (iii) पर्यटन (iv) खनन के - सदस्य

(वी) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी - सदस्य

(ड) ब्लाक विकास अधिकारी, बयाना—सदस्य

(त) ब्लाक विकास अधिकारी, रूपवास—सदस्य

(थ) अवैतनिक वन्यजीव वार्डन, भरतपुर—सदस्य

(ध) खंड वन अधिकारी, भरतपुर—सदस्य-सचिव

(2) केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आनेवाला पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावशाली मानीटरिंग करने के लिए मानीटरिंग समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्

(क) जिला कलक्टर, आगरा—अध्यक्ष

(ख) गैर सरकारी संघटन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसे प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा—सदस्य

(ग) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य के प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित संस्था या विध्विधालय से एक वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा—सदस्य

(घ) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड—सदस्य

(ङ) ज्येष्ठ नगर योजनाकार—सदस्य

(च) खंड वन अधिकारी आगरा—सदस्य-सचिव

निर्देश निबंधन

(3) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(5) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(6) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उप-वन संरक्षक/उद्यान, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(7) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(8) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध III पर उपाबंध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(9) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।


[एफ. सं. 25/56/2015-ईएमजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपबन्ध I

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का मानचित्र

Annexure A 1



37014/15-2

बांध बरेठा वन्यजीव

बांध बरेठा वन्यजीव अभयारण्य

| बिन्दु सं. | बांध बरेठा वन्यजीव अभयारण्य | | | अक्षांश | | |
|------------|-----------------------------|----|-------|---------|----|-------|
| | देधांतर | | | | | |
| 1 | 77 | 18 | 31.02 | 26 | 52 | 58.09 |
| 2 | 77 | 19 | 27.34 | 26 | 53 | 27.31 |
| 3 | 77 | 19 | 43.73 | 26 | 53 | 32.48 |
| 4 | 77 | 20 | 22.96 | 26 | 53 | 57.87 |
| 5 | 77 | 21 | 15.09 | 26 | 54 | 5.09 |
| 6 | 77 | 22 | 38.44 | 26 | 54 | 51.07 |
| 7 | 77 | 23 | 4.33 | 26 | 54 | 41.56 |
| 8 | 77 | 24 | 27.80 | 26 | 55 | 8.84 |
| 9 | 77 | 25 | 2.67 | 26 | 55 | 13.99 |
| 10 | 77 | 26 | 29.52 | 26 | 54 | 49.96 |
| 11 | 77 | 26 | 9.06 | 26 | 55 | 40.40 |
| 12 | 77 | 27 | 18.48 | 26 | 55 | 37.65 |
| 13 | 77 | 28 | 16.64 | 26 | 56 | 8.64 |
| 14 | 77 | 27 | 46.51 | 26 | 56 | 39.15 |
| 15 | 77 | 28 | 41.18 | 26 | 57 | 45.02 |
| 16 | 77 | 29 | 48.89 | 26 | 58 | 5.51 |
| 17 | 77 | 30 | 34.39 | 26 | 57 | 30.33 |
| 18 | 77 | 30 | 38.63 | 26 | 56 | 53.13 |
| 19 | 77 | 30 | 49.48 | 26 | 56 | 29.23 |
| 20 | 77 | 30 | 44.14 | 26 | 56 | 2.45 |
| 21 | 77 | 30 | 10.84 | 26 | 54 | 43.93 |
| 22 | 77 | 28 | 24.27 | 26 | 54 | 5.03 |
| 23 | 77 | 28 | 59.63 | 26 | 53 | 17.57 |
| 24 | 77 | 28 | 23.00 | 26 | 52 | 42.70 |
| 25 | 77 | 27 | 4.05 | 26 | 52 | 0.27 |
| 26 | 77 | 26 | 15.88 | 26 | 51 | 45.04 |
| 27 | 77 | 26 | 30.32 | 26 | 51 | 13.64 |
| 28 | 77 | 27 | 18.13 | 26 | 50 | 28.27 |
| 29 | 77 | 26 | 10.73 | 26 | 49 | 10.79 |
| 30 | 77 | 26 | 59.17 | 26 | 48 | 43.38 |
| 31 | 77 | 25 | 58.81 | 26 | 47 | 55.05 |
| 32 | 77 | 25 | 42.38 | 26 | 47 | 31.70 |
| 33 | 77 | 25 | 3.37 | 26 | 47 | 8.35 |
| 34 | 77 | 25 | 3.84 | 26 | 45 | 56.85 |
| 35 | 77 | 26 | 52.63 | 26 | 45 | 0.44 |
| 36 | 77 | 27 | 27.01 | 26 | 45 | 42.49 |
| 37 | 77 | 29 | 59.29 | 26 | 46 | 29.03 |
| 38 | 77 | 29 | 31.18 | 26 | 45 | 44.80 |
| 39 | 77 | 29 | 28.59 | 26 | 45 | 18.47 |
| 40 | 77 | 29 | 43.17 | 26 | 44 | 42.49 |
| बिन्दु सं. | बांध बरेठा वन्यजीव अभयारण्य | | | अक्षांश | | |
| | देधांतर | | | | | |
| 41 | 77 | 28 | 14.96 | 26 | 44 | 9.63 |
| 42 | 77 | 27 | 11.91 | 26 | 43 | 59.44 |
| 43 | 77 | 26 | 3.90 | 26 | 43 | 6.14 |
| 44 | 77 | 23 | 53.48 | 26 | 42 | 21.97 |
| 45 | 77 | 23 | 10.97 | 26 | 41 | 51.89 |
| 46 | 77 | 20 | 17.90 | 26 | 42 | 32.27 |

| | | | | | | |
|----|----|----|-------|----|----|-------|
| 47 | 77 | 20 | 22.43 | 26 | 43 | 44.01 |
| 48 | 77 | 20 | 18.77 | 26 | 45 | 12.46 |
| 49 | 77 | 19 | 43.41 | 26 | 45 | 55.89 |
| 50 | 77 | 20 | 5.95 | 26 | 46 | 31.16 |
| 51 | 77 | 20 | 29.95 | 26 | 47 | 3.69 |
| 52 | 77 | 20 | 36.84 | 26 | 47 | 36.03 |
| 53 | 77 | 19 | 19.61 | 26 | 46 | 54.95 |
| 54 | 77 | 18 | 9.92 | 26 | 46 | 16.15 |
| 55 | 77 | 17 | 17.45 | 26 | 46 | 22.14 |
| 56 | 77 | 16 | 0.18 | 26 | 47 | 56.26 |
| 57 | 77 | 14 | 49.14 | 26 | 49 | 12.34 |
| 58 | 77 | 14 | 53.83 | 26 | 49 | 29.94 |
| 59 | 77 | 14 | 51.47 | 26 | 50 | 46.15 |
| 60 | 77 | 15 | 33.40 | 26 | 51 | 11.92 |
| 61 | 77 | 16 | 17.82 | 26 | 51 | 33.40 |
| 62 | 77 | 17 | 0.42 | 26 | 52 | 7.31 |
| 63 | 77 | 17 | 43.74 | 26 | 52 | 57.79 |

उपाबंध II

बांध बरेठा अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में ग्रामों की सूची

| क्र. सं. | शहर/गांव |
|----------|---------------|
| 1. | नेहरोली |
| 2. | सुलतानपुर |
| 3. | देवला का नगला |
| 4. | बरेठा |
| 5. | पाली दंग |
| 6. | वैदपुरा |
| 7. | दुमरिया |
| 8. | छुरारी |
| 9. | सिरोंध |
| 10. | महलपुर |
| 11. | महलपुर छुरा |
| 12. | पाहदपुर |
| 13. | तिघरराह |
| 14. | छतरी का नगला |
| 15. | कोली का नगला |
| 16. | सिंघानिया |
| 17. | मनग्रान काला |
| 18. | तरविजपुर |
| 19. | बन कोकरा |
| 20. | गजनुआ |
| 21. | समरी |
| 22. | बुधवार |

| | |
|-----|----------------|
| 23. | तरसुमा |
| 24. | दरबारहना |
| 25. | खुलावली |
| 26. | पोप्पालीपुरा |
| 27. | खेरीदंग |
| 28. | तुरतीपुरा |
| 29. | गोथिआ का नगला |
| 30. | खेरी गतिया |
| 31. | भोलापुरा |
| 32. | खेरी चामरान |
| 33. | थाना दंग |
| 34. | तीर का नगला |
| 35. | चंदरा का नगला |
| 36. | घुनेनी |
| 37. | शाहपुर |
| 38. | बारबर का नगला |
| 39. | कंचन का नगला |
| 40. | सेउपुरा |
| 41. | बनगरा |
| 42. | झीरका |
| 43. | परुवा |
| 44. | झनझारी का पुरा |
| 45. | कोरानपुरा |
| 46. | बेदपुरा |
| 47. | बजना |
| 48. | ओखायापुरा |
| 49. | कोट |
| 50. | जसोरा |
| 51. | सिंघरावली |
| 52. | बोरियापुरा |
| 53. | बईसोरा |

जिला करौली

| | |
|-----|--------------|
| 54. | झनझारीपुर |
| 55. | खेरातपुर |
| 56. | तमकोहली |
| 57. | नवला का पुरा |

जिला आगरा

| | |
|-----|--------|
| 58. | कराहकी |
|-----|--------|

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2015

S.O. 2382(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Bandh Baretha Wildlife Sanctuary is situated in the Roopwas and Bayana Tehsils of the Bharatpur district in Rajasthan and is spread across 199.24 square kilometers;

AND WHEREAS, the Wildlife Sanctuary has a varied habitat having diversified fauna and flora and the important faunal species include leopard, hyena, jungle cat, chinkara, crocodile and approximately twenty-eight bird species;

AND WHEREAS, the sanctuary has dry deciduous forest and the important tree species include *Anogeissus pendula*, *Acacia catechu*, *A. leucophloea*, *A. Senegal*, *Butea monosperma*, *Adina cordifolia*, *Holoptelia integrifolia*;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Bandh Baretha Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 1 km around the outer boundary of Bandh Baretha Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan and Uttar Pradesh as the Bandh Baretha Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone has an extent of one kilometer around the boundary of Bandh Baretha Wildlife Sanctuary and is spread across an area of 200 square kilometer.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as **Annexure I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 58 villages falling in Bharatpur, Karauli Districts of Rajasthan and Agra District in Uttar Pradesh.

(3) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(ix) Rajasthan State Pollution Control Board;

(x) Irrigation;

(xi) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restrictions on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The State Governments of Rajasthan and Uttar Pradesh shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities;

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

- (iii) small scale industries not causing pollution;
 - (iv) rainwater harvesting; and
 - (v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities;
- Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the respective State Governments.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism, Eco-education and Eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone:

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the outer boundary of the Bandh Baretha Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.**- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.** -

(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

| S.No. | Activity | Remarks |
|------------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Prohibited Activities | | |
| 1. | Commercial Mining, stone quarrying and crushing units. | (a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012. |
| 2. | Setting up of saw mills. | No new or expansion of exiting saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 3. | Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution. | No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. |
| 4. | Commercial use of firewood. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 5. | Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 6. | Use or production of any hazardous substances. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| 7. | Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 8. | Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 9 | New wood based industry. | Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-Sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period. |
| 10 | Fishing | There shall be complete ban on commercial fishing in all the water bodies in the Eco-Sensitive zone. However, fishing can be carried out by local communities for their bonafide livelihood needs. |
| Regulated Activities | | |
| 11. | Establishment of hotels and resorts. | No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the outer boundary of the Bandh Baretha Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. |
| 12. | Construction activities | (a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the National Park; Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3; (b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission from the competent authority. |
| 13. | Felling of trees. | (a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) in case of reserve forests and protected forests, the Working Plan prescriptions shall be followed. |
| 14. | Commercial water resources including ground water harvesting. | (a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture. |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 15. | Erection of electrical cables and telecommunication towers. | Promote underground cabling. |
| 16. | Fencing of existing premises of hotels and lodges. | Regulated under applicable laws except in Sookhashila area. |
| 17. | Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads. | Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable. |
| 18. | Movement of vehicular traffic at night. | Regulated for commercial purpose, under applicable laws. |
| 19. | Introduction of exotic species. | Regulated under applicable laws. |
| 20. | Protection of hill slopes and river banks. | Regulated under applicable laws. However, no activities that enhance erosion of the river banks should be allowed on the banks of Kukund river. |
| 21. | Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area. | Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed. |
| 22. | Commercial Sign boards and hoardings. | Regulated under applicable laws. |
| 23. | Small scale industries not causing pollution. | Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted. |
| 24. | Collection of forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP). | Regulated under applicable laws. |
| 25. | Air and vehicular pollution. | Regulated under applicable laws. |
| 26. | Use of polythene bags by shopkeepers. | Regulated under applicable laws. |
| 27. | Drastic change of agriculture systems. | Regulated under applicable laws. |
| Promoted Activities | | |
| 28. | Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming. | Permitted under applicable laws. |
| 29. | Rain water harvesting. | Shall be actively promoted. |
| 30. | Organic farming. | Shall be actively promoted. |
| 31. | Adoption of green technology for all activities. | Shall be actively promoted. |
| 32. | Cottage industries including village artisans, etc. | Shall be actively promoted. |
| 33. | Use of renewable energy sources | Bio gas, solar light etc. to be promoted |

5. Monitoring Committee.—(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-Sensitive Zone falling in the State of Rajasthan, which shall comprise of the following, namely:-

(a) District Collector Bharatpur

- Chairman

(b) Representative of District Collector, Karauli

- Member

(c) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment from eminent institution or University of the State to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of one year in each case -- Member

(d) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of one year in each case

- Member

(e) Superintendent of Police

- Member

(f) Sub-Divisional Officer, Roopvas

- Member

- (g) Sub-Divisional Officer, Bayana - Member
- (h-r) District level officers of the departments of:
- (i) PWD (ii) Irrigation (iii) Tourism (iv) Mining - Member
- (l) Regional Officer of the State Pollution Control Board - Member
- (m) Block Divisional Officer, Bayana - Member
- (n) Block Divisional Officer, Roopvas -Member
- (o) Hon. Wildlife Warden, Bharatpur -Member
- (p) Divisional Forest Officer, Bharatpur - Member-Secretary
- (2) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Uttar Pradesh, which shall comprise of the following, namely:--
- (a) District Collector, Agra - Chairman
- (b) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment from an eminent institution or University of the State to be nominated by the Government of Uttar Pradesh for a term of one year in each case - Member
- (c) One expert in the area of ecology and environment from an eminent institution or University of the State to be nominated by the Government of Uttar Pradesh for a term of one year in each case -Member
- (d) Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board - Member
- (e) Senior Town Planner -Member
- (f) Divisional Forest Officer, Agra - Member Secretary

Terms of Reference:


- (3) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (4) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (5) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (6) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (7) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (8) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at Annexure III.
- (9) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/56/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Map of proposed Eco-Sensitive Zone along with coordinates

35
Annexure A1



Annexure I contd..

Co-ordinates of points along the boundary of Eco-Sensitive Zone of Bandh Baretha WLS

| Point No. | Longitude | | | Latitude | | |
|-----------|-----------|----|-------|----------|----|-------|
| | | | | | | |
| 1 | 77 | 18 | 31.02 | 26 | 52 | 58.09 |
| 2 | 77 | 19 | 27.34 | 26 | 53 | 27.31 |
| 3 | 77 | 19 | 43.73 | 26 | 53 | 32.48 |
| 4 | 77 | 20 | 22.96 | 26 | 53 | 57.87 |
| 5 | 77 | 21 | 15.09 | 26 | 54 | 5.09 |
| 6 | 77 | 22 | 38.44 | 26 | 54 | 51.07 |
| 7 | 77 | 23 | 4.33 | 26 | 54 | 41.56 |
| 8 | 77 | 24 | 27.80 | 26 | 55 | 8.84 |
| 9 | 77 | 25 | 2.67 | 26 | 55 | 13.99 |
| 10 | 77 | 26 | 29.52 | 26 | 54 | 49.96 |
| 11 | 77 | 26 | 9.06 | 26 | 55 | 40.40 |
| 12 | 77 | 27 | 18.48 | 26 | 55 | 37.65 |
| 13 | 77 | 28 | 16.64 | 26 | 56 | 8.64 |
| 14 | 77 | 27 | 46.51 | 26 | 56 | 39.15 |
| 15 | 77 | 28 | 41.18 | 26 | 57 | 45.02 |
| 16 | 77 | 29 | 48.89 | 26 | 58 | 5.51 |
| 17 | 77 | 30 | 34.39 | 26 | 57 | 30.33 |
| 18 | 77 | 30 | 38.63 | 26 | 56 | 53.13 |
| 19 | 77 | 30 | 49.48 | 26 | 56 | 29.23 |
| 20 | 77 | 30 | 44.14 | 26 | 56 | 2.45 |
| 21 | 77 | 30 | 10.84 | 26 | 54 | 43.93 |
| 22 | 77 | 28 | 24.27 | 26 | 54 | 5.03 |
| 23 | 77 | 28 | 59.63 | 26 | 53 | 17.57 |
| 24 | 77 | 28 | 23.00 | 26 | 52 | 42.70 |
| 25 | 77 | 27 | 4.05 | 26 | 52 | 0.27 |
| 26 | 77 | 26 | 15.88 | 26 | 51 | 45.04 |
| 27 | 77 | 26 | 30.32 | 26 | 51 | 13.64 |
| 28 | 77 | 27 | 18.13 | 26 | 50 | 28.27 |
| 29 | 77 | 26 | 10.73 | 26 | 49 | 10.79 |
| 30 | 77 | 26 | 59.17 | 26 | 48 | 43.38 |
| 31 | 77 | 25 | 58.81 | 26 | 47 | 55.05 |
| 32 | 77 | 25 | 42.38 | 26 | 47 | 31.70 |
| 33 | 77 | 25 | 3.37 | 26 | 47 | 8.35 |
| 34 | 77 | 25 | 3.84 | 26 | 45 | 56.85 |
| 35 | 77 | 26 | 52.63 | 26 | 45 | 0.44 |
| 36 | 77 | 27 | 27.01 | 26 | 45 | 42.49 |
| 37 | 77 | 29 | 59.29 | 26 | 46 | 29.03 |
| 38 | 77 | 29 | 31.18 | 26 | 45 | 44.80 |
| 39 | 77 | 29 | 28.59 | 26 | 45 | 18.47 |
| 40 | 77 | 29 | 43.17 | 26 | 44 | 42.49 |
| 41 | 77 | 28 | 14.96 | 26 | 44 | 9.63 |
| 42 | 77 | 27 | 11.91 | 26 | 43 | 59.44 |
| 43 | 77 | 26 | 3.90 | 26 | 43 | 6.14 |
| 44 | 77 | 23 | 53.48 | 26 | 42 | 21.97 |
| 45 | 77 | 23 | 10.97 | 26 | 41 | 51.89 |
| 46 | 77 | 20 | 17.90 | 26 | 42 | 32.27 |
| 47 | 77 | 20 | 22.43 | 26 | 43 | 44.01 |
| 48 | 77 | 20 | 18.77 | 26 | 45 | 12.46 |
| 49 | 77 | 19 | 43.41 | 26 | 45 | 55.89 |
| 50 | 77 | 20 | 5.95 | 26 | 46 | 31.16 |
| 51 | 77 | 20 | 29.95 | 26 | 47 | 3.69 |
| 52 | 77 | 20 | 36.84 | 26 | 47 | 36.03 |
| 53 | 77 | 19 | 19.61 | 26 | 46 | 54.95 |
| 54 | 77 | 18 | 9.92 | 26 | 46 | 16.15 |
| 55 | 77 | 17 | 17.45 | 26 | 46 | 22.14 |
| 56 | 77 | 16 | 0.18 | 26 | 47 | 56.26 |

| Point No. | Longitude | | | Latitude | | |
|-----------|-----------|----|-------|----------|----|-------|
| | | | | | | |
| 57 | 77 | 14 | 49.14 | 26 | 49 | 12.34 |
| 58 | 77 | 14 | 53.83 | 26 | 49 | 29.94 |
| 59 | 77 | 14 | 51.47 | 26 | 50 | 46.15 |
| 60 | 77 | 15 | 33.40 | 26 | 51 | 11.92 |
| 61 | 77 | 16 | 17.82 | 26 | 51 | 33.40 |
| 62 | 77 | 17 | 0.42 | 26 | 52 | 7.31 |
| 63 | 77 | 17 | 43.74 | 26 | 52 | 57.79 |

Annexure II**List of Villages falling within the proposed Eco-Sensitive Zone****Within the Limits of Bharatpur District**

| | | |
|-----|-----------------|---------------------|
| 1. | Nehroli | 27. Kheridang |
| 2. | Sultanpur | 28. Turtipura |
| 3. | Devlaka Nagla | 29. Gothiaka Nagla |
| 4. | Baretha | 30. Kheri Gatia |
| 5. | Pali Dang | 31. Bholapura |
| 6. | Vaidpura | 32. KheriChamaran |
| 7. | Dumaria | 33. Thana Dang |
| 8. | Churari | 34. Theerka Nagla |
| 9. | Sirrong | 35. Chandrka Nagla |
| 10. | Mahalpur | 36. Ghuneni |
| 11. | Mahalpur Chura | 37. Shahpur |
| 12. | Pahadpur | 38. Barbarka Nagla |
| 13. | Thigharra | 39. Kanchanka Nagla |
| 14. | Chhatrika Nagla | 40. Sevupura |
| 15. | Kolika Nagla | 41. Bangarra |
| 16. | Singaniya | 42. Jhirka |
| 17. | Magrain Kala | 43. Parovva |
| 18. | Tarvijpur | 44. Jhanjharikapura |
| 19. | Ban Kookra | 45. Koranpura |
| 20. | Gajanua | 46. Bedpura |
| 21. | Samri | 47. Bajna |
| 22. | Budvar | 48. Okhaliapura |
| 23. | Tarsooma | 49. Kot |
| 24. | Darbarhana | 50. Jasora |
| 25. | Khulavali | 51. Singhravali |
| 26. | Poppalipura | 52. Boriapura |
| | | 53. Baisora |

Within Karauli District

54. Jhanjaripur
55. Kheratpur
56. Tamkohli
57. Navlaka Pura

Within Uttar Pradesh

58. Karahki

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee.—

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutiny Sed for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutiny Sed for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
8. Any other matter of importance.

